

फा0सं0 14/100/2008-एस0 आर0 (एस0)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक नायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली - 110003
दिनांक 29/03/2012

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल, मध्य प्रदेश - 462004 ।
2. प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, डी के भवन,
रायपुर, छत्तीसगढ़ ।

29 MAR 2012

विषय:- श्री रामसहाय अनिल, सहायक उपनिरीक्षक (रेडिया) ओपरेटर, गृह विभाग के राज्य पूर्वआवंटन सम्बन्धित अभ्यावेदन पर विचार ।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे यह कहने का है श्री रामसहाय अनिल, सहायक उपनिरीक्षक (रेडिया) ओपरेटर, गृह विभाग ने छत्तीसगढ़ राज्य आवंटन के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है और मध्यप्रदेश राज्य आवंटन का अनुरोध किया है। राज्य सलाहाकार समिति की बैठक में 23.01.2012 को उसके प्रशासी विभाग के मंतव्य के आलोक में उसके अभ्यावेदन पर विचार हुआ और समिति ने उसके राज्य पुर्नआवंटन की अनुशंसा की है। भारत सरकार ने समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया है। अतः श्री रामसहाय अनिल, सहायक उपनिरीक्षक (रेडिया) ओपरेटर का राज्य पुर्नआवंटन छत्तीसगढ़ राज्य से मध्य प्रदेश राज्य किया जाता है ।

2. इस आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार उपरोक्त कर्मियों के राज्य पुर्नआवंटन के आदेश जारी करके इस विभाग को अवगत कराये । इससे पहले इस आदेश की सत्यता इस विभाग की वैबसाईट (persmin.nic.in →Dopt → State reorganization →Recent orders → M.P.) पर जाँच लें ।

भवदीय,

महेन्द्र सिंह

(महेन्द्र सिंह शर्मा)
अवर सचिव
दूरभाष : 24651898

प्रति:-

प्रमुख सचिव,
गृह विभाग, बल्लभ भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश ।

प्रमुख सचिव,
गृह विभाग, डी.के.एस.भवन, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक (दूरसंचार) मध्यप्रदेश भोपाल ।

